जे.पी.आर.5 –381

# जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
## (मुख्य अभियंता वाणिज्य)

क्रंमाक जेपीडी/मुअ(वा.)/सी–1/एफ4(236)पार्ट–।।/प्रे.345 दिनांक 01.03.07

### आदेश

विषयः ओला वृष्टि से प्रभावित गांवों के लधु एवं सीमान्त काश्तकारों के बिलिंग माह जनवरी एवं फरवरी, 2007 के बिजली के बिलों के भुगतान की राशि माफ करने बाबत्।

राज्य में अभी हाल ही में हुई ओलावृष्टि से कुछ जिलों में फसल को काफी नुकसान हुआ है। उक्त स्थिति पर विचार कर राज्य सरकार ने ऐसे लघु एवंसीमान्त कृषकों जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त हो गई है को सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये हैं :–

(1) ओलावृष्टि से प्रभावित लधु एवं सीमान्त काश्तकारों की जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराब हुई है, उनसे बिलिंग माह जनवरी एवं फरवरी 2007 के विद्युत बिलों की राशि वसूल नहीं करनी है ।

(2) इसके अतिरिक्त ,जिन काश्तकारों ने उक्त माहों के विद्युत बिलों की राशि जमा करवादी है उस राशि को आगामी बिलों में समायोजित कर दी जाए।

(3) बिलों में दी गई छूट का पुनर्भरण राज्य सरकार के आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा किया जायेगा ।

इस विषय में संबंधित अधिशाषी अभियन्ता (पवस), जिला कलेक्टर (सहायता) से संपर्क कर ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के लधु एवं सीमान्त काश्तकारों की ग्राम एवं उपभोक्तावार सूचना प्राप्त कर संबंधित सहायक अभियन्ताओं को उपलब्ध कराऐगे। इस सूची के आधार पर ही संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा बिलिंग माह जनवरी एवं फरवरी, 2007 के बिलों की राशि को माफ करने की कार्यवाही की जाएं ।

निर्णयानुसार छूट देने के पश्चात दी गई छूट की राशि का ग्राम एवं उपभोक्तावार विवरण मुख्य लेखाधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को प्रेषित की जाये। मुख्य लेखाधिकारी इस संबध में उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim) प्रेषित करेगें, ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुनःर्भरण प्राप्त किया जा सके।

यह आदेश जयपुर डिस्कॉम के निदेशक मंडल के अनुसमर्थन (Subject to ratification)की दशा में प्रसारित किये जाते है।

आज्ञा से

1.3.2007

( एन. एम. सरीन )
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)